रजिस्ट्री संख्या डी—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D— (DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 29, 1985 (आषाढ़ 8, 1907)
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 29, 1985 (ASADHA 8, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	501
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	731
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	877
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	20891
भाग III—खंड 2—पैटन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	497
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1271
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	101
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	501
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	731
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	877
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	20891
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	497
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1271
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	101
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

गृह मंत्रालय, गृह विभाग

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून, 85

संकल्प

सं०-9(23) 82-पुनर्वास-III (डेस्क)—तत्कालीन पुनर्वास विभाग के दिनांक 17 अगस्त, 1983 के संकल्प संख्या-9 (23)/82-पुनर्वास-III (डेस्क) द्वारा 6 महीने के लिये विशिष्ट अतिरिक्त पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन निपटान समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अवधि को क्रमशः 23-2-84, 4-9-84, 23-12-84 के संकल्प संख्या 9 (23)/82-पुनर्वास-III (डैस्क) द्वारा 30-6-85 तक जारी रखा गया। अब इसकी अवधि 31-12-1985 तक और बढ़ाई जाती है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्न को प्रेषित की जाए :—

1. सचिव, मंत्रिमंडल कार्य विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
2. सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नई दिल्ली।
3. सचिव, रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग), नई दिल्ली।
4. सचिव, पूर्ति विभाग, नई दिल्ली।
5. महा निदेशक, पूर्ति तथा निपटान, नई दिल्ली।
6. निदेशक, लेखा-परीक्षा, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध, नई दिल्ली।
7. उप निदेशक, लेखा-परीक्षा, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध, कलकत्ता शाखा, 16-ए, आर्डीनेंस रोड, कलकत्ता-700001।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

एस० के० बसु, संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून, 1985

सं० एफ० 16 (8)-पी० डी०/84—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 30 जून, 1975 की अधिसूचना संख्या 16 (1)-पी० डी०/75 के पैरा 10 के उपबन्धों के अनुसार, गैर सरकारी भविष्य निधियों, अधिवार्षिकी निधियों और उपदान निधियों के लिए विशेष जमा योजना को, उसमें विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथासंशोधित, शर्तों पर, भारत सरकार द्वारा पहली जुलाई, 1985 से 10 वर्षों तक की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना 30 जून, 1995 तक लागू रहेगी, परन्तु इसे इसके बाद की किसी तारीख तक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट की जाए, और आगे जारी रखा जा सकता है।

2. भारत सरकार 30 जून, 1975 की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

वर्तमान पैराग्राफ 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"9. जमा रकम का लौटाया जाना—नीचे के पैराग्राफ 11 में कुछ अन्यथा होने के बावजूद, तदयोग्य निधि में जमा रकमों तक की राशि, इस सम्बन्ध में तदयोग्य निधि के न्यासियों अथवा प्रशासकों द्वारा उस जमा कार्यालय को, जहां पर रकम जमा हो, आवेदन पत्र देने पर लौटाई जा सकेगी। राशियां निम्नलिखित स्थितियों में लौटाने की अनुमति दी जाएगी :—

(क) यदि सम्बन्धित कार्यालय बन्द किया जा रहा हो और निधि के बारे में कर्मचारियों के दावों का निपटारा करने के लिए निधि द्वारा निवेश की गई रकमों का निपटान और वसूली की जा रही हो, अथवा

(ख) यदि तदयोग्य निधि द्वारा किसी महीने में निधि में उस महीने जमा रकमों से अधिक रकम की अनिवार्य अदायगी की जा रही हो, बशर्ते कि जितनी राशि वापस किए जाने की मांग की जा रही हो, वह उसी अनुपात में हो, जिसमें निधि की राशियां विशेष जमा योजना, 1975 सहित, विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश की गई हों, जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा अनुमोदित न किया गया हो, अथवा

(ग) यदि सम्बन्धित कार्यालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ तय की गई बीमा योजना के अन्तर्गत अदायगी करने अथवा उस निगम से वार्षिकियां खरीदने का फैसला किया हो।

वी० बालसुब्रह्मण्यन,
अपर बजट अधिकारी

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

कोयला विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई, 1985

संकल्प

सं० ई०-11011/7/84-हिन्दी—भारत सरकार, इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय, कोयला विभाग ने, कोयला विभाग के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर, हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक योजना आरंभ करने का निश्चय किया

है। इस योजना का नाम "कोयला हिन्दी ग्रंथ पुरस्कार योजना" रहेगा। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मानक मूल पुस्तकों के लिए दो वर्षों में एक बार रु० 5,000/- और रु० 3,000/- का क्रमशः प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा।

(2) इस योजना का उद्देश्य इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों को प्रोत्साहित करना है।

(3) केवल उच्च स्तर की मूल पुस्तकों पर ही, चाहे वह पांडुलिपि में हों अथवा प्रकाशित रूप में, इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।

(4) इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय, कोयला विभाग को पुरस्कार के लिए ग्रन्थों का चयन करने और इस प्रकार के चयन को शासित करने वाले नियम बनाने का एकमात्र अधिकार होगा।

(5) पुरस्कार के लिए विचार हेतु प्रस्तुत पुस्तकें और पांडुलिपियां लेखक/लेखकों द्वारा मूल रूप से लिखी गई हों और उनसे किसी अन्य कृति या व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन न होता हो।

(6) प्रविष्टियों का मूल्यांकन सामान्यतया पुरस्कार वाले ब्लाक वर्षों के पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान लेखक/लेखकों द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों/पांडुलिपियों के रूप में किए गए मूल लेखन के आधार पर किया जाएगा।

(7) पुरस्कार प्रदान करने के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम दो पुस्तकों/पांडुलिपियों का चयन इस कार्य के लिए गठित एक मूल्यांकन समिति करेगी।

(8) सचिव, कोयला विभाग, पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्रमुख समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर लेखकों से आवेदन-पत्र और प्रविष्टियां आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा कोयला विभाग को अपनी ओर से, किसी अन्य प्रणाली से भी, किसी पुस्तक पांडुलिपि को पुरस्कार देने के बारे में विचार के लिए शामिल करने का अधिकार होगा।

(9) लेखकों से अपेक्षित होगा कि वे अपने आवेदन पत्र तथा पुस्तकें/पांडुलिपियां छः प्रतियों में सचिव, इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय, कोयला विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजें। इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तकों/पांडुलिपियों की प्रतियां सामान्यतया लेखकों को लौटाई नहीं जायेंगी।

(10) यदि इस पुरस्कार योजना में शामिल किसी मूल पुस्तक को किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पुरस्कार मिल चुका हो तो लेखक को चाहिए कि वह इस बात का स्पष्ट उल्लेख सचिव, कोयला विभाग, को संबोधित अपने पत्र में कर दे।

(11) लेखक पुरस्कार के लिए एक से अधिक प्रविष्टि भेज सकता/सकती हैं। किन्तु कोई भी लेखक दो वर्ष की अवधि विशेष में इस योजना के अन्तर्गत एक से अधिक पुरस्कार का हकदार नहीं होगा।

(12) यदि पुरस्कार प्राप्त किसी पुस्तक/पांडुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को सह-लेखकों में बराबर बांट दिया जाएगा।

(13) यदि पुरस्कारों के ब्लाक-वर्ष में कोई पुस्तक/पांडुलिपि पुरस्कार/पुरस्कारों के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई तो कोयला विभाग उस ब्लाक-वर्ष में कोई पुरस्कार नहीं प्रदान करेगा।

(14) पुरस्कार इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय, कोयला विभाग द्वारा विशेष तौर पर आयोजित समारोह में अथवा अन्य किसी उपयुक्त अवसर पर प्रदान किए जायेंगे।

(15) सचिव, कोयला विभाग, पुरस्कार प्रदान करने की तारीख से काफी समय पहले पुरस्कार पाने वालों को आवश्यक सूचना आदि देंगे।

सामान्य :

1. जो लेखक पुरस्कार के लिए विचारार्थ अपनी पुस्तक प्रस्तुत करेगा उसका कापीराइट समाप्त नहीं होगा।

2. अनूदित पुस्तक पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3. यदि कोई अप्रकाशित पुस्तक पुरस्कार के लिए चुनी जाती है, तो पुरस्कार की राशि का भुगतान सामान्यतया पुस्तक के प्रकाशन के बाद ही किया जाएगा।

4. पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों से यदि कापीराइटर कानून अथवा किसी अन्य कानून को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका हर प्रकार का सम्पूर्ण दायित्व प्रविष्टि प्रस्तुत करने वाले लेखक/व्यक्ति का होगा।

5. पुरस्कारों से संबंधित सभी मामलों में सचिव, कोयला विभाग, का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को जन-साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रतीप लाहिरी, संयुक्त सचिव

(औद्योगिक विकास विभाग)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 1985

संकल्प

सं० डी० डब्ल्यू० आई०-61 (84)/एम०/एम०—19 नवम्बर 1984 के संकल्प सं० डी० डब्ल्यू० आई०-61 (84)/एम०/एम० के क्रम में, भारत सरकार ने पहली अधिसूचना जारी होने की तिथि 19 नवम्बर, 1984 से 2 वर्ष की अवधि के लिए दियासलाई की विकास नामिका में निम्नलिखित को शामिल करने का निर्णय किया है :—

1. श्री सी० एन० बालाकृष्णन,
संयुक्त निदेशक (रसायन),
औद्योगिक एवं वाणिज्य विभाग, मद्रास,
तमिलनाडु।

2. संयुक्त निदेशक (दियासलाई),
मदुराई, तमिलनाडु।

3. प्रतिनिधि,
रामनदजिला काट्टेज दियासलाई मैन्युफक्चरर्स एसोसिएशन,
ससूर, तमिलनाडु।

4. श्री आर० जौसफ,
तिरुनेलवेली जिला फाट्टेज दियासलाई मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन,
कालिलपट्टी,
तमिलनाडु।

5. श्री एस० एस० सनकारालिंगम,
प्रबंध निदेशक,
मै० सुन्दरवेली दियासलाई उद्योग,
शिवाकासी,
तमिलनाडु।

2. नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :—

(1) दियासलाई उद्योगों की (यंत्रीकृत एवं गैर-यंत्रीकृत क्षेत्र में) वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना, उनका भावी विकास, मांग का अनुमान और भावी आवश्यकताओं के अनुसार उद्योग को बढ़ाने व उसके विकास के बारे में कदम उठाने की सिफारिश करना।

(2) प्रौद्योगिकी के स्तर का मूल्यांकन करना और अपेक्षित स्तर तक उसे उन्नयन करने के सुझाव देना।

(3) कच्चे माल, संघटकों, उद्योग द्वारा उपयोग में लाये जाने वाली सामग्रियों आदि को युक्ति संगत बनाने के बारे में सुझाव देना।

(4) सामग्री एवं ऊर्जा संरक्षण के मानदंडों के बारे में सलाह देना, उनमें कमी करने के प्रयास, दक्षता और उत्पादिकता में सुधार करने के बारे में अभ्युपायों की सिफारिश करना।

(5) लघु उद्योगों में आर्थिक एवं अपेक्षित उत्पादन के बारे में सलाह देना, उत्पाद, उसके कच्चे मालों व अवयवों के आयात प्रतिस्थापन के बारे में सुझाव देना।

(6) उत्पाद, उसके कच्चे मालों व अवयवों के आयात प्रतिस्थापन के बारे में सुझाव देना।

(7) निर्यात प्रवर्धन के बारे में सुझाव देना।

(8) उद्योग के हित में नामिका द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य मुद्दों के बारे में सुझाव देना और,

(9) कच्चे मालों और उपभोक्ता क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उद्योग के क्षेत्रीय विकास के विभिन्न पहलुओं पर सलाह देना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

के० सी० गंजयाल,
निदेशक (प्रशासन)

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई, 1985

संकल्प

सं० एफ० 29-27/83-स्कूल-4—दिनांक 7 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 27 के भाग I खंड 1 में प्रकाशित इस मंत्रालय के दिनांक 29 मई, 1984 की संकल्प संख्या 29-27/83-स्कूल-4 का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए पैरा I तथा III को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :—

भाग I : केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की अध्यक्षता में, सभी स्तरों पर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उसके विकास के लिए महिला शिक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठित की है।

भाग-II—समिति में निम्नलिखित शामल होंगे :—

1. श्री कृष्ण चन्द्र पन्त, अध्यक्ष
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री

2. श्रीमती मरगथम चन्द्रशेखर, सदस्य
समाज तथा महिला कल्याण,
केन्द्रीय राज्य मंत्री

3. प्रो० एम० जी० के० मेनन, सदस्य
सदस्य, योजना आयोग,
नई दिल्ली

4. डा० (श्रीमती) माधुरी आर० शाह, सदस्य
अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई दिल्ली

5. प्रो० (श्रीमती) असीमा चटर्जी, सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
नई दिल्ली

6. श्री आनन्द स्वरूप, सदस्य
सचिव,
शिक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली

7. अध्यक्ष, पदेन सदस्य
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड,
नई दिल्ली

8. श्रीमती ए० बहाबुद्दीन अहमद, सदस्य
अध्यक्ष,
भारतीय ग्रामीण महिला संघ,
नई दिल्ली

9. डा० (श्रीमती) राजामल देवदास, सदस्य
निदेशक,
श्री अविनाशलिंगम गृह विज्ञान
महिला कालेज,
कोयम्बटूर—641043

10. श्रीमती सरोजिनी वर्दप्पन, सदस्य
अध्यक्ष,
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन,
नई दिल्ली

11. डा० देवकी जैन, सदस्य
निदेशक,
सामाजिक अध्ययन संस्थान न्यास,
5, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली

12. डा० सता सिंह, सदस्य
संयुक्त सचिव,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली

13. डा० पी० एल० मल्होत्रा, सदस्य
निदेशक,
रा० शै० अ० प्र० परिषद,
नई दिल्ली

14. प्रो० सत्य भूषण, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली — सदस्य

15. श्रीमती जे० ललिताअम्बिका, सचिव, शिक्षा विभाग, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम — सदस्य

16. श्रीमती कुमुद बंसल, निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा विभाग), शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली — सदस्य

उपरोक्त संबंधित संकल्प में प्रकाशित बाकी की शर्तें वही रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस मंत्रालय के दिनांक 25-5-1984 के संशोधित संकल्प संख्या एफ० 29-27/83-स्कूल-4 की एक प्रति, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रधान मंत्री का कार्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संशोधित संकल्प भारत के राजपत्र में सर्व सामान्य की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

योगेन्द्र नाथ चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1985

संकल्प

सं० एफ० 7-10/82-सी० एच०-1—एतद्द्वारा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल को अभिशासित करने के लिये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति के गठन करने तथा इसके उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को कार्यान्वित तथा पूरा करने, अर्थात् अन्य बातों के साथ-साथ भारत के विशेष संदर्भ में मानव के विकास तथा संस्कृति की एक समेकित कहानी प्रस्तुत करने भारत में सांस्कृतिक पद्धतियों की समृद्धि तथा विविधता एवं इसके मूल में एकता, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने, मानव क्रम विकास तथा मानवीय विविधता पर प्रदर्शनियां आयोजित करने, पूर्व तथा आद्येतिहासिक समय की संस्कृति तथा समाज और संस्कृति की पद्धतियां, भारतीय संस्कृति के तेजी से समाप्त हो रहे पहलुओं की सुरक्षा एवं परिरक्षण करने, और संग्रहालय-विज्ञान आदि में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिये केन्द्र के रूप में कार्य करने का संकल्प पारित किया जाता है। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i) अध्यक्ष

(ii) उपाध्यक्ष

(iii) संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार अथवा उसका नामजद व्यक्ति (पदेन)

(iv) वित्तीय सलाहकार अथवा संस्कृति विभाग से सम्बद्ध उसका नामजद व्यक्ति, भारत सरकार (पदेन)

(v) सचिव, आवास और निर्माण मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उसका नामजद व्यक्ति (पदेन)

(vi) सचिव, इस्पात तथा खान मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उनका नामजद व्यक्ति (पदेन)

(vii) सचिव, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार अथवा उनका नामजद व्यक्ति (पदेन)

(ix) सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उनका नामजद व्यक्ति (पदेन)

(x) महानिदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय/निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (पदेन)

(xi) मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार अथवा उनका नामजद व्यक्ति (पदेन)

(xii) मानव विज्ञानी (शारीरिक तथा सामाजिक) पुरातत्वविदों, संग्रहालय विज्ञानी, लोक कला शिल्पों के विशेषज्ञों में से अधिक से अधिक पांच प्रख्यात व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा।

(xiii) निदेशक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (सदस्य-सचिव)।

केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्षों की अवधि के लिए समिति के अध्यक्ष को नामित किया जायेगा। संस्कृति विभाग के सचिव के समिति के उपाध्यक्ष होंगे।

2. राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति की एक कार्यकारी परिषद होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे।

(i) संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग अथवा संस्कृति विभाग द्वारा नामजद किया जाने वाला संस्कृति विभाग का एक प्रतिनिधि (पदेन)।

(ii) महानिदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय/निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (पदेन)।

(iii) संस्कृति विभाग से संबद्ध वित्तीय सलाहकार अथवा उसका नामजद व्यक्ति जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का वित्तीय सलाहकार होगा (पदेन)।

(iv) महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अथवा उसका नामजद व्यक्ति (पदेन)।

(v) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा उसका नामजद व्यक्ति (पदेन)।

(vi) निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली (पदेन)।

(vii) संयुक्त सचिव, जनजातीय कल्याण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उसका नामजद व्यक्ति (पदेन)।

(viii) सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश सरकार अथवा उसका नामजद व्यक्ति (पदेन)।

(ix) सचिव, जनजातीय कल्याण, मध्य प्रदेश सरकार अथवा उसका नामजद व्यक्ति (पदेन) ।

(x) नियम 3 (xi) के अन्तर्गत नामित किये गये सदस्यों में से मानव विज्ञानी, संग्रहालयविद, शिल्प कला तथा जनजातीय कार्यों में विशेषज्ञों से अधिक से अधिक तीन व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद किए जाएंगे ।

(xi) निदेशक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (पदेन) ।

कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष सोसायटी का उपाध्यक्ष होगा जो कि संस्कृति विभाग, भारत सरकार का सचिव होगा ।

कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष संस्कृति विभाग, भारत सरकार का संयुक्त सचिव होगा ।

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति तथा समिति की कार्यकारी परिषद के सदस्यों का कार्यालय-काल समिति अथवा परिषद के गठन/पुनर्गठन की तारीख से पांच वर्ष का होगा, इस शर्त पर कि जहां कोई व्यक्ति समिति अथवा कार्यकारी परिषद का उसके पद अथवा नियुक्ति के कारण सदस्य बन जाता है, जब वह नियुक्ति से हट जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । अतः सरकार पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने से पहले बिना कोई कारण बताये किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकती है अथवा समिति, अथवा समिति की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन कर सकती है ।

समिति की बैठकें जब भी आवश्यक हो आयोजित की जा सकती हैं परन्तु वर्ष में एक बार अवश्य होनी चाहिये ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निदेशक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पी० बी० सं०–7 तथा हाउसिंग बोर्ड कामप्लेक्स, एरिया कालोनी, भोपाल–462016 को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिये छापा जाए ।

के० डी० गुप्त, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई, 1985

शुद्धि पत्र

सं० एफ० 32–34/84–पुस्तकालय––संस्कृति विभाग के संकल्प सं० 32–34/84–पुस्तकालय, दिनांक 16-6-84 में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त संकल्प जिसमें भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का गठन किया गया था, में एतद्द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन अधिसूचित किए जाते हैं :––

1. पैरा 3 क पदेन सदस्य

1. शिक्षा और संस्कृति मंत्री, भारत सरकार;	इस प्रकार पढ़ा जाए	राज्य संस्कृति मंत्री भारत सरकार,
2. सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार	––वही––	सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार
3. अपर सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार	––वही––	संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा–सलाहकार, संस्कृति विभाग भारत सरकार

2. पैरा 6.1 स्थायी समिति का गठन :––

(क) सचिव, भारत सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय	––वही––	सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार
(ख) अपर सचिव, संस्कृति विभाग	––वही––	संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार संस्कृति विभाग, भारत सरकार

3. पैरा 7

पंक्ति 2 सचिव शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के स्थान पर सचिव, संस्कृति विभाग पढ़ा जाए ।

पंक्ति 3–4 अपर सचिव; संस्कृति विभाग के स्थान पर संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग पढ़ा जाए ।

4. सामाजिक–आर्थिक अनुसंधान संस्थान, पूर्व जनगणना जनसंख्या अध्ययन एकक 1 पैरा 3 च के अन्तर्गत (पैरा ग 7) का प्रतिनिधित्व होगा (सुप्रसिद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधित्व) ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह शुद्धि पत्र भारत के राजपत्र के भाग, खण्ड में प्रकाशित किया जाए ।

(आर० सी० सूद) अवर सचिव (पुस्तकालय)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 1985

संकल्प

सं० ई० आर० बी०–1/81/21/41––इस मंत्रालय के 18-3-85 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में, भारत सरकार ने रेल सुधार समिति के अध्यक्ष और सचिव का तथा सहायक, कर्मचारियों का कार्यकाल 30-4-85 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

ए० एन० वांचू
सचिव, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF HOME AFFAIRS

(REHABILITATION DIVISION)

New Delhi-11, the 6th June 1985

RESOLUTION

No. 9(23)/82-RH.III (Desk).—The Special Surplus RRO Disposal Committee was set up vide erstwhile Department of Rehabilitation Resolution No. 9(23)/82-RH.III (Desk) dated 17th August, 1983 for a period of six months. The life of this Committee which was continued upto 30-6-1985 vide Resolutions No. 9(23)/82-RH-III (Desk) dated 23-2-1984, 4-9-1984, 28-12-1984 respectively is hereby further extended upto 31-12-1985.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. Secretary, Department of Cabinet Affairs, Cabinet Secretariat, New Delhi.
2. Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure), New Delhi.
3. Secretary, Ministry of Defence (Department of Defence), New Delhi.
4. Secretary, Department of Supply, New Delhi.
5. Director General of Supplies & Disposals, New Delhi.
6. Director of Audit, Commerce, Works & Misce., New Delhi.
7. The Deputy Director of Audit, Commerce, Works & Misce., Calcutta Branch, 16-A, Brabourne Road, Calcutta-700 001.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. BASU
Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 12th June 1985

No. F. 16(8)-PD|84.—It is hereby notified that in terms of paragraph 10 of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 16(1)-PD|75 dated the 30th June, 1975, the Special Deposit Scheme for non-Government, provident, superannuation and gratuity funds has been extended by the Government of India for a further period of 10 years with effect from 1st July 1985 on the terms and conditions specified therein, as amended from time to time. The Scheme will remain in force till the 30th June, 1995 but may be continued for a further period till such later date as may be specified in this behalf by the Central Government.

2. Government of India also makes the following amendments to the said Notification dated 30th June, 1975 :—

The following shall be substituted for the existing paragraph 9 :—

"9. Refund of deposits.—Notwithstanding anything contained in paragraph 11 below, the refund of deposits to the extent of the amount standing to the credit of eligible fund will be allowed, on application, made in this behalf, by the Trustees or administrators of an eligible fund to the deposit office at which the deposit is held. Refunds will be permitted in the event of—

(a) the winding up of the related establishment followed by the realisation of the fund's investments for settlement of the claims on the fund by the employees; or

(b) obligatory payments by an eligible fund in any month exceeding the accretions to the fund in that month, provided that the refund sought is in the same proportion in which the amounts of the fund were invested in various securities including Special Deposit Scheme, 1975, unless otherwise approved by the Government; or

(c) the related establishment deciding to make payments under a scheme of insurance entered into with the Life Insurance Corporation of India or for purchase of annuities from that corporation."

V. BALASUBRAMANIAN
Addl. Budget Officer

MINISTRY OF STEEL, MINES & COAL

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 25th May 1985

RESOLUTION

No. F-11011|7|84-Hindi.—The Government of India in the Ministry of Steel, Mines & Coal, Department of Coal, have decided to introduce a scheme for award of prizes to authors for writing original books in Hindi on subjects falling within the purview of functions of the Department of Coal. The scheme will be known as Koyala Hindi Granth Puraskar Yojana. The salient features of the scheme are given below :—

(1) Two prizes of Rs. 5000|- and Rs. 3000|- as First and Second prizes, respectively, will be awarded on standard books originally written in Hindi on subjects falling within the purview of functions of the Department of Coal, once in a block of two years.

(2) The object of the scheme is to encourage the authors to write original books in Hindi on the subjects pertaining to the functions of the Ministry of Steeel, Mines & Coal (Department of Coal).

(3) Only books of high standard, whether in manuscript or in published form, will be considered for award of prizes under this scheme.

(4) The Ministry of Steel, Mines & Coal, Department of Coal, shall have the sole and exclusive right to select the books for prizes and to make rules for administering such selection.

(5) The books and manuscripts submitted for consideration for award of prizes should be originally written by the author(s) in Hindi and should not infringe upon in any manner on copyright of any other work or person.

(6) The assessment of the entries will be done on the basis of original manuscripts|books normally submitted by the author(s) during the year preceding the block-year.

(7) The selection of two best books|manuscripts for award of prizes will be made by a Selection Committee constituted for the purpose.

(8) The Secretary, Department of Coal, will invite application and entries from authors for award of prizes through advertisement published in leading newspapers|periodicals. In addition to this the Department of Coal shall have the right to include for consideration any book(s)|manuscripts through any other method also.

(9) The authors will be required to submit six copies of their applications and books|manuscripts to the Secretary, Ministry of Steel, Mines & Coal Department of Coal, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. The copies of books|manuscripts so submitted shall normally not be returned to the author(s).

(10) If any book included for consideration under this Scheme has already received a prize under any other scheme, the author(s) should intimate this fact in clear terms to the Secretary, Department of Coal.

(11) The author(s) can send any number of entries for consideration under this Scheme. No author will, however, be entitled to receive more than one prize under this Scheme in a particular block-year.

(12) If the book|manuscript selected for award of prize has been written by more than one author, the prize money will be divided equally among all the authors.

(13) If no book|manuscript is considered suitable for award of prize in any block-year, the Department of Coal will not award any priz(s) in that block-year.

(14) The prize will be awarded by the Department of Coal in a function to be held specially for the purpose, or on any other suitable occasion.

(15) In good time prior to the presentation of awards, the Secretary of the Department of Coal shall send necessary intimation to the recepients of awards.

General :

1. The author who submits his book for being considered for award of prize shall not lose his coypright in the work.

2. The translation of a book shall not be considered for award of a prize.

3. If an unpublished book is selected for award of a prize, the prize-money will normally be paid after the publication of the book.

4. If any dispute arises at any stage concerning the entries received for award of prize vis-a-vis any other work in respect of any copyright law or any other statute, the responsibility therefor shall entirely lie on the author(s)|person submitting the enry.

5. The decision of the Secretary, Department of Coal, with regard to the prize(s) shall be final and binding on all concerned.

ORDER

ORDERED that the copies of this Resolution be sent to all the State Governments|Union territories and all the Ministries|Departments of the Government of India.

ORDERED further that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. K. LAHIRI
Jt. Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 31st May 1985

RESOLUTION

No. DWI-61(84)|M|M.—In continuation of Resolution No. DWI-61(84)|M|M, dated 19th November, 1984, Government of India have decided to include the following in the Development Panel for Match Industry for the period of two years from the date of issue of the first Notification dated 19th November, 1984 :—

1. Shri C. N. Balakrkishnan,
Joint Director (Chemicals),
Industries & Commerce Department, Madras,
Tamilnadu State.

2. Joint Director (Matches),
Madurai, Tamilnadu State.

3. Representative of
Ramnad District Cottage
Match Manufacturers Association, Sattur,
Tamilnadu State.

4. Shri R. Joseph,
Tirunelveli District Cottage,
Match Manufttcturing Association,
Kovilpatti,
Tamilnadu State.

5. Shri S. S. Sankaralingam,
Managing Director,
Messrs. Sunderveli Match Industries, Sivakasi,
Tamilnadu State.

2. Terms of reference of the Panel would be as follows :—

(i) To review the present status of the Match Industry (in the mechanised and non-mechanised sector), perspectives for their future growth, estimate the demand and recommend steps to promote and develop the industry as per the future requirements.

(ii) To evaluate status of technology and suggest measures for upgrading the same to bring it to the desired level,

(iii) To suggest measures for rationalisation of raw materials, components, consumables etc, used by the industry,

(iv) To advise on norms for material and energy conservation, steps for reduction in the same and to recommend measure for improvement of efficiency and productivity,

(v) To advise on the economic and desirable scales of production in the small scale sector of the industry,

(vi) To suggest measures for import substitution of the product, its raw materials and components,

(vii) To advise on steps for export generation,

(viii) To suggest any other aspects which the Panel deems important in the interest of the growth and development of the industry, and

(ix) To advise on pattern of regional development and growth of the Industry, taking into consideration the sources of supply of raw materials and areas of consumption.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL
Director (Admn.)

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 13th May 1985

RESOLUTION

No. F.29-27|83-Sch.4.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 29-27|83-Sch.4 dated the 25th May, 1984 published in Part I Section 1 of Gazette of India Notificaiton No. 27 dated the 7th July, 1984, Para I & III are hereby modified as under :—

Para I :On the recommendations of the Central Advisory Board of Education, the Ministry of Education, Government of India have set up a high level Standing Committee on Women's Education under the Chairmanship of Shri K. C. Pant, Minister of Education, to propel the growth and development of Women's Education at all levels.

Para III : The Committee shall comprise of the following :—

Chairman

1. Shri K. C. Pant,
Union Minister of Education

Members

2. Smt. Maragatham Chandrasekhar
Union Minister of State for
Social & Women Welfare

3. Prof. M. G. K. Menon,
Member
Planning Commission,
New Delhi.

4. Dr. (Smt.) Madhuri R. Shah,
Chairman,
University Grants Commission,
New Delhi.

5. Prof. (Smt.) Asima Chatterjee,
Member of Parliament, (Rajya Sabha),
New Delhi.

6. Shri Anand Sarup,
Secretary,
Ministry of Education,
New Delhi.

Ex-Officio-Member

7. Chairman,
Central Social Welfare Board,
New Delhi.

Members

8. Smt. Sarojini Varadappan,
President,
All India Women's Conference,
New Delhi.

9. Smt. A. Wahabuddin Ahmed,
Chairman,
Bharatiya Grammeen Mahila Sangh,
New Delhi.

10. Dr. (Smt.) Rajammal Devadas,
Director, Sri Avinashilingam Home Science,
College for Women,
Coimbatore-641 043

11. Dr. Devaki Jain,
Director,
Institute of Social Studies Trust,
5, Deen Dayal Upadhyay Marg,
New Delhi.

12. Dr. Lata Singh,
Joint Secretary,
Council of Scientific & Industrial Research,
New Delhi.

13. Dr. P. L. Malhotra,
Director,
NCERT, New Delhi.

14. Prof. Satya Bhushan,
Director,
National Institute of Education Planning & Administration,
Sri Aurobindo Marg, New Delhi

15. Smt. J. Lalithambika,
Secretary,
Department of Education, Government of Kerala,
Trivandrum.

Member-Secretary

16. Smt. Kumud Bansal,
Director (Adult Education Division),
Ministry of Education,
New Delhi.

The rest of the terms and conditions published in the above-referred Resolution remain the same.

ORDER

ORDERED that a copy of the modification to this Ministry's Resolution No. 29-27/83-Sch.4 dated 25-5-1984 may be issued to all Ministries/Departments of the Government of India, University Grants Commission, Prime Minister's Office, National Council of Educational Research and Training.

ORDERED also that the modification to the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Y. N. CHATURVEDI
Jt. Secy.

DEPARTMENT OF CULTURE

New Delhi, he 5th June 1985

RESOLUTION

No.F.7-10/82-CH.I.—It is hereby resolved to constitute the Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti to govern the Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal and to execute and fulfil its aims and objects i.e. inter-alia to present an inegrated story of evolution of Man and Culture with special reference to India; to highlight the richness and diversity of Cultural patttrns in India and its underlying unity; to promote national integration; to organise exhibitions on Human Evolution and Human variation, culture and society in Pre and Proto Historic times and patterns of culture; to take steps to salvage and preserve the fast vanishing aspect of the Indian Culture; and to act as a centre for research and training in museology etc. The Samitl will consist of the following :

(i) President;

(ii) Vice-President;

(iii) Joint Secretary, Department of Culture, Government of India or his/her nominee (ex-olficio);

(iv) Financial Adviser or his nominee integrated to the Department of Culture, Governmtnt of India (ex-officio);

(v) Secretary, Ministry of Works and Housing, Government of India or his nominee (ex-officio);

(vi) Secretary, Ministry of Steel and Mines, Government of India or his nominee (ex-officio);

(vii) Secretary, Department of Environment, Government of India or his nominee (ex-officio);

(viii) Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of of India or his nominee (ex-officio);

(ix) Director-General, Anthropological Survey of India and Rashtriya Manav Sangrahalaya/Director, Anthropological Survey of India (ex-officio);

(x) Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh or his nominee (ex-offlcio);

(xi) Eminent persons not exceeding five from amongst anthropologist (physical and social), archaeologists, museologists, experts in folk art crafts to be nominated by the Central Government; and

(xii) Director, Rashtriya Manav Sangrahalaya (Member-Secretary).

The President of the Samiti shall be nominated by the Central Government for a period of five years. Secretary to the Department of Culture shall be the Vice-President of the Samiti.

2. The Rashriya Manav Sangrahalaya Samiti shall have an Executive Council consisting of the following :

(i) Joint Secretary, Department of Culture or a representative of the Department of Culture to be nominated by the Department of Culture; (ex-officio)

(ii) Director-General, Anthropological Survey of India and Rashtriya Manav Sangrahalaya/Director, Anthropological Survey of India; (ex-officio)

(iii) Financial Adviser integrated to the Department of Culture or his nominee who shall be the Financial Adviser of the Rashtriya Manav Sangrahalaya; (ex-officio)

(iv) Director-General, Geological Survey of India or his nominee; (ex-officio)

(v) Director-General Archaeological Survey of India or his nominee; (ex-officio)

(vi) Director, National Museum of National History, New Delhi; (ex-officio)

(vii) Joint Secretary, Tribal Welfare, Ministry of Home Affairs, Government of India or his nominee; ex-officio)

(viii) Secretary, Department of Education and Culture, Government of Madhya Pradesh or his nominee; (ex-officio)

(ix) Secretary, Tribal Welfare, Government of Madhya Pradesh or his nominee; (ex-officio)

(x) Persons not exceeding three of eminent anthropologists, museologists, experts in crafts and tribal affairs to be nominated by the Central Government out of the members nominated under Rule 3(xi); and

(xi) Director, Rashtriya Manav Sangrahalaya, (ex-officio)

The Chairman of the Executive Council shall be the Vice-President of the Society who shall be the Secretary to the Department of Culture, Government of India.

The Vice-Chairman of the Executive Council shall be the Joint Secretary, Department of Culture, Government of India.

The term of office of members of the Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti and of the Executive Council of the Samiti shall be five years from the date of the Samiti or the Council is constituted/reconstituted, subject to the condition that where a person becomes a member of the Samiti or of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that appointment. The Government may, however, terminate the membership of any member before the completion of the tenure of five years without assigning any reason or may reconstitute the Samiti or the Executive Council of the Samiti.

The Samiti shall meet as often as necessary but atleast once a year.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to the Director, Rashtriya Manav Sangrahalaya, P.B. No. 7, Tawa Housing Board Complex, Arera Colony, Bhopal-462016.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. D. GUPTA
Jt. Secy.

New Delhi, the 30th May, 1985

Corrigendum

No. F. 32-34/84 Lib.—In partial modification of Department of Culture Resolution No. 32-34/84 Lib. dated 26-6-84, the following charges are hereby notified in the said Resolution constituting the Indian Historical Records Commission.

I. *Para* 3. A Ex-Officio Member :

1. Minister or Education & Culture, Government of India.	May be read as	Minister of State for Culture Government of India.
2. Secretary, Ministry of Education & culture Government of India.	May be read as	Secretary, Deppartment of Culture, Government of India.
3. Additional Secretary, Department of Culture Government of India.	,,	Joint Secretary/Joint Educational Advser, department of Culture, Goverument of India.

II. *Para* 6 I Composition of Standing Committee:

(a) Secretary to the Government of India, Ministry of Educatio n & Culture.	May be read as	Secretary, to Department of Culture, Government of India.
(b) Additional Secretary Department of Culture.	,,	Joint Secretary/Joint Educational Adviser, Department of Culture, Government of India.

III. *Para* 7

Line 2—Secretary, Ministry of Education & Culture may be read as Secretary, Department of Culture.

Line 3-4—Additional Secretary, Department of Culture may be read as Joint Secretary/Joint Educational Adviser, Department of Culture.

IV. Socio-Economic Research Institute Pre-Census Population Studies Unit. (Para 3.C.7) will be represented under Para 3.F. (Representatives of Learned Institutions).

ORDER

ORDERED that the Corrigendum be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

R. C. SOOD
Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 31st May 1985

RESOLUTION

No. ERB-1|81|21|41.—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 18-3-1985, the Government of India have decided to extend the tenure of Chairman and Secretary of Railway Reforms Committee upto 30-4-1985 along with supporting staff.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. N. WANCHOO, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI.